छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 5782/2007
आदेश सुरक्षित दिनांक : 07.11.2022
आदेश पारित दिनांक : 12.01.2023

- कैलाश चन्द्र शर्मा पिता स्व० गौरी शंकर शर्मा, उम्र– लगभग 47 वर्ष,

  कार्यरत – लेखापाल, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

  निवासी– बिल्हा, जिला–बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

– – – – **याचिकाकर्ता**

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा चेयरमेन,

   छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर (छ.ग.)

2. मैनेजिंग डायरेक्टर, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर (छ.ग.)

3. अतिरिक्त निर्देशक, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर (छ.ग.)

4. संयुक्त निर्देशक (स्थापना), छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर (छ.ग.)

5. उप निर्देशक (स्थापना), छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर (छ.ग.)

6. राजकुमार गुप्ता, उम्र– लगभग 50 वर्ष, सहायक लेखापाल अधिकारी

   (स्थापना), छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर (छ.ग.)

– – – – **प्रत्यर्थीगण**

याचिकाकर्ता की ओर से	:	श्री विनोद देशमुख अधिवक्ता,
प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 5 की ओर से	:	श्री वाई० एस० ठाकुर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी क्रमांक 6 की ओर से	:	श्री मलय श्रीवास्तव, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे

सी ए वी आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. याचिकाकर्ता द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रस्तुत याचिका प्रत्यर्थी क्रमांक-2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2005 के विरूद्ध पेश की गयी है, जिसके माध्यम से प्रत्यर्थी क्रमांक-6 को सहायक एकाउंट ऑफिसर के पद पर पदोनत किया गया है । याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी क्रमांक-5 द्वारा सहायक एकाउंट ऑफिसर के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 01.05.2005 की स्थिति में निर्मित दो कैडर की वरिष्ठता सूची को भी चुनौती दी है ।

2. याचिकाकर्ता के मामले के अनुसार उन्हें मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल में आदेश दिनांक 26.07.1987 के माध्यम से जूनियर ऑडिटर के रूप में आरंभिक रूप से दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था । आदेश के परिप्रेक्ष्य में याचिकाकर्ता ने दिनांक 02.09.1987 को जूनियर ऑडिटर के पद पर पदभार ग्रहण किया था । आदेश दिनांक 14.06.1991 के माध्यम से याचिकाकर्ता को जूनियर ऑडिटर के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात दिनांक 01.09.1989 से कनफर्म किया गया । आदेश दिनांक 17.12.1993 के माध्यम से याचिकाकर्ता को एकाउंटेट के पद पर पदोन्नत किया गया एवं उनके द्वारा दिनांक 07.01.1994 को एकाउंटेट का पदभार ग्रहण किया ।

छत्तीसगढ राज्य की स्थापना के पश्चात याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ राज्य की सेवाओं में जाने का विकल्प चूना और याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड रायपुर में सेवाएं दिया जाना

आवंटित किया गया । विभाजन पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य में एकाउंटेट का कुल 01 पद आबंटित किया गया । प्रत्यर्थी राज्य कृषि बोर्ड द्वारा सन 2002 से लेकर 2007 तक की एकाउंटेट की एकाउंट कैडर में वरिष्ठता सूची जारी की गयी, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम प्रथम क्रमांक पर था । विभाजन के पश्चात सहायक एकाउंट ऑफिसर का केवल 01 पद प्रत्यर्थी बोर्ड में आवंटित हुआ, जिसे 100 प्रतिशत एकाउंटेट और सीनियर ऑडिटर जिन्होंने एकाउंट ट्रेनिग पास की हो और एकाउंटेट तथा सीनियर ऑडिटर के पद पर पांच साल सेवाएं दी हो, में पदोन्नति के आधार पर भरा जाना था ।

दिनांक 24.11.2005 को प्रत्यर्थी बोर्ड द्वारा सहायक एकाउंट ऑफिसर के पद पर पदोन्नति हेतु विचार बाबत एक डी पी सी का गठन किया गया एवं एक सहायक एकाउंट ऑफिसर के पद को भरे जाने के लिए दिनांक 01.04.2005 की स्थिति में दो कैडर के एकाउंट और सीनियर ऑडिटर की संयुक्त वरिष्ठता सूची जारी की गयी, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम सरल क्रमांक-3 पर था । प्रत्यर्थी बोर्ड द्वारा दिनांक 22.11.2005 की स्थिति में सहायक एकाउंट ऑफिसर के पद पर पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों की गोपनीय वार्षिक चरित्रावली का चार्ट निर्मित किया गया । उक्त चार्ट में याचिकाकर्ता के विरूद्ध कोई विभागीय जांच या किसी प्रकार का दण्ड नही होना उल्लेखित था लेकिन प्रत्यर्थी क्रमांक-6 के ए सी आर में यह दर्शित था कि उन्हें दिनांक 04.12.2001 को लघु दण्ड देते हुए उनका एक इंक्रिमेंट बिना संचय प्रभाव से रोक दिया गया । यह भी दर्शित हुआ कि दिनांक 17.11.2005 को प्रत्यर्थी क्रमांक-6 को एक कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था कि उनके द्वारा अपने वरिष्ठ के आदेश को प्राप्त नही किया गया और वह अपने कर्तव्य पर उपस्थित नही थे, लेकिन इसके बाद भी प्रत्यर्थी क्रमांक-2 द्वारा प्रत्यर्थी क्रमांक-6 को दिनांक 29.11.2005 के आदेश के माध्यम से मैरिट सह वरिष्ठता के स्थान पर सहायक एकाउंट ऑफिसर के पद पर वरिष्ठता सह मैरिट के आधार पर पदोन्नति दे दी गयी है। इसलिए यह याचिका प्रस्तुत की गयी है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित अनुतोष याचित किया गया हैः-

7.1- यह कि माननीय न्यायालय प्रस्तुत मामले में याचिकाकर्ता से संबंधित सम्पूर्ण अभिलेख आहूत करें ।

7.2- यह कि माननीय न्यायालय आदेशित करें कि प्रत्यर्थी क्रमांक-6 को दी गयी पदोन्नति सही नही है एवं अपास्त किये जाने योग्य है ।

7.3- माननीय न्यायालय यह निर्णित करें कि प्रत्यर्थी क्रमांक-6 को सहायक एकाउंट के पद पर पदोन्नति नही दी जा सकती है, इसलिए पदोन्नति आदेश दिनांक 29.11.2005 (अनुलगनक पी-12) अपास्त/निरस्त किये जाने योग्य है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7.4- यह निर्णित करें कि प्रत्यर्थी क्रमांक-6 को संयुक्त वरिष्ठता सूची में जो क्रम दिया गया है वह उचित नही है एवं प्रत्यर्थी बोर्ड को आदेश किया जावे कि वह नियामानुसार उचित वरिष्ठता सूची तैयार करें ।

7.5- माननीय न्यायालय प्रत्यर्थीगण को यह आदेशित करने की कृपा करें कि वह याचिकाकर्ता के सहायक एकाउंट ऑफिसर के पद पर पदोन्नति के लिए विचार करें।

7.6- अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे ।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदित किया गया है कि चूंकि सहायक एकाउंट ऑफिसर का मात्र 01 पद प्रत्यर्थी बोर्ड में स्वीकृत था, इसलिए उक्त को वरिष्ठता सह मैरिट के स्थान पर मैरिट सह वरिष्ठता के आधार पर भरा जाना है । याचिकाकर्ता पिछले पांच वर्ष की गोपनीय चरित्रावली के आधार पर मैरिट सह वरिष्ठता के परिप्रेक्ष्य में सहायक एकाउंट ऑफिसर के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किये जाने बाबत योग्य अर्ह उम्मीदवार है । यह निवेदित किया गया है कि याचिकाकर्ता अपने कैडर अर्थात एकाउंट कैडर में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति है एवं उन्हें इस पद पर

पदोन्नत होना चाहिए। प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को सहायक एकाउंट ऑफिसर के पद पर पदोन्नति बाबत दो कैडर के लिए दो पृथक-पृथक वरिष्ठता सूची तैयार की जानी थी । दिनांक 01.06.2007 को अतिरिक्त निर्देशक द्वारा जो नोटशीट तैयार की गयी थी, उससे दर्शित होता है कि प्रत्यर्थी क्रमांक-6 को गलत तरीके से सहायका एकाउंट ऑफिसर के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है, क्योंकि दो कैडर की संयुक्त सूची विधिक रूप से सही नही है तथा अतिरिक्त निर्देशक ने यह भी पाया है कि प्रत्यर्थी क्रमांक-6 को पुनः वापिस पद पर परिवर्तित करते हुए याचिकाकर्ता को ही पद पर पदोन्नत करना चाहिए । विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि तत्संबंध में याचिकाकर्ता का रिप्रेजेंटेशन को प्रत्यर्थी क्रमांक-4 संयुक्त निर्देशक द्वारा बिना प्राधिकार और क्षेत्राधिकार के निरस्त कर दिया गया है, जबकि प्रत्यर्थी बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर ही याचिकाकर्ता का रिप्रेजेंटेशन निर्णित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है । केन्द्रीय सरकार के परिपत्र अनुसार कोई भी कर्मचारी जो पहले मध्यप्रदेश राज्य में नियुक्त हुए हो एवं पश्चात में पारसपरिक व्यवस्था के तहत उनकी सेवाएं राज्य में आबंटित नही की जा सकी, तब उन्हें दो कैडर की संयुक्त वरिष्ठता सूची में निचले क्रम में रखना है । इससे यह स्थिति दर्शित होता है कि प्रत्यर्थी क्रमांक-6 को आरंभ में मध्यप्रदेश राज्य में आबंटित किया गया, लेकिन पारस्परिक व्यवस्था में उनकी सेवाएं राज्य में आबंटित नही की गयी एवं इसलिए उनको दो कैडर की संयुक्त वरिष्ठता सूची में निचले क्रम पर रखा जाना था, जबकि ऐसा नही हुआ है। डी पी सी द्वारा सहायक एकाउंट ऑफिसर के पद पर पदोन्नति देते समय छत्तीसगढ़ राज्य सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियमों का पालन भी नही किया गया और प्रत्यर्थी क्रमांक-6 को गलत तरीके से पदोन्नति दे दी गयी है । अतः निवेदन किया गया है कि आलोच्य आदेश को अपास्त किया जाये और प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाये कि प्रत्यर्थी क्रमांक-6 के स्थान पर याचिकाकर्ता को सहायक एकाउंटेट के पद पर पदोन्नति दी जावे ।

5. प्रत्यर्थीगणों के अधिवक्ता द्वारा संयुक्त रूप से यह निवेदित किया गया है कि सहायक एकाउंट ऑफिसर का पद वरिष्ठता सह मैरिट के आधार पर सही तरीके से भरा गया है । छत्तीसगढ राज्य द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 बनाये गये है जो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कर्मचारियों के पदोन्नति के संबंध में भी लागू होते है क्योंकि विपणन संघ का स्वयं का कर्मचारियों के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पदोन्नति बाबत कोई नियम नही है एवं इन्ही नियमों के अनुशरण में सहायक एकाउंट ऑफिसर का पद भरा गया है । विपणन बोर्ड राज्य सरकार का ही निकाय है एवं नियम 2003 के नियम 4 के अनुसार श्रेणी-3 से श्रेणी-3 उच्च पे स्केल पोस्ट में प्रमोशन/पदोन्नति का आधार वरिष्ठता सह मैरिट है, इसलिए डी पी सी द्वारा वरिष्ठता सह मैरिट के आधार पर उचित तरीके से पदोन्नति दी गयी है । सहायक लेखा अधिकारी के पद को 100 प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना है । सहायक लेखा अधिकारी का पद लेखा कैडर और ऑडिट कैडर के लिए सामान्य पदोन्नति पद है । यह एक ही सेवा में अलग-अलग विषय क्षेत्र है, जिनकी अलग-अलग वरिष्ठता सूची है । यह निवेदित किया गया है कि सहायक लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए कोई अलग वैधानिक नियम या प्रशासनिक निर्देश नही है । इसलिए संबंधित कैडर में सेवा की अवधि और अंतर वरिष्ठता पदोन्नति का आधार है एवं ऑडिटर और एकाउंटेट की एक पृथक वरिष्ठता सूची भी प्रत्यर्थी बोर्ड द्वारा जारी की गयी थी, जिसके आधार पर प्रत्यर्थी क्रमांक-6 को पदोन्नति दी गयी है । यह भी निवेदित किया गया है कि ऑडिटर कैडर में श्री बी डी कुलदीप सबसे वरिष्ठ थे लेकिन वह पदोन्नति के लिए उपयुक्त नही पाये गये । श्री कुलदीप के पश्चात प्रत्यर्थी क्रमांक-6 थे, जिनको पदोन्नति दी गयी । यद्यपि प्रत्यर्थी क्रमांक-6 आपसी सहमति से छत्तीसगढ राज्य में स्थानांतरण के परिप्रेक्ष्य में अपने कैडर की वरिष्ठता सूची में निचले क्रमांक पर थे, लेकिन पदोन्नति के लिए दोनो कैडरों की वरिष्ठता सह मैरिट को ही में लिया जाना था, इसलिए प्रत्यर्थी क्रमांक 6 को सहायक एकाउंटेट के पद पर पदोन्नत किया गया है । अतः याचिका को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. उभयपक्षकारों को सुना गया । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया ।

7. अपने पक्ष में याचिकाकर्ता ने विभिन्न दस्तावेज न्यायालय में दाखिल किये है । दस्तावेज (अनुलग्नक पी-7) के अनुसार सन 2005 में याचिकाकर्ता लेखापाल के पद पर पदस्थ हुए । (अनुलग्नक पी-8) जो दिनांक 01..04.2003 की स्थिति में एकाउंटेट की ग्रेडेशन लिस्ट है, उसमें याचिकाकर्ता का नाम सरल क्रमांक-1 पर है, जबकि श्री वाय आर वर्मा का नाम सरल क्रमांक-2 पर है । (अनुलग्नक पी-9) सीनियर ऑडिटर और एकाउंटेट की दिनांक 01..04.2005 की स्थिति में निर्मित संयुक्त वरिष्ठता सूची है, जिसमें कुल 5 उम्मीदवार है, जिनमें से श्री बी डी कुलदीप का नाम सरल क्रमांक-1 पर है, प्रत्यर्थी क्रमांक-6 का नाम सरल क्रमांक-2

पर है, जबकि याचिकाकर्ता का नाम सरल क्रमांक-3 पर है । इसके अतिरिक्त श्री अनिल कुमार मिंज सरल क्रमांक-4 एवं श्री वाय आर वर्मा सरल क्रमांक-5 पर है ।

(अनुलग्नक पी-10) के दस्तावेज में एक चार्ट है, जिसमें उम्मीदवारों के विरूद्ध की गयी विभागीय जांच एवं प्रदत्त दण्ड की जानकारी है । इससे यह दर्शित होता है कि याचिकाकर्ता के विरूद्ध कोई विभागीय जांच नही थी, उन्हें कोई दण्ड नही दिया गया था, जबकि प्रत्यर्थी क्रमांक-6 को लघु शस्ति अधिरोपित करते हुए उनका एक वार्षिक इंक्रीमेंट बिना संचयी प्रभाव से रोका गया है, इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी क्रमांक 6 को वरिष्ठ के आदेश का पालन न करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है । (अनुलग्नक पी-10) में एकाउंटेट और सीनियर ऑडिटर के सन 1999 से लेकर 2005 के पिछले 06 साल के ए सी आर का चार्ट भी है, जो निम्नानुसार है-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्रमांक	शासकीय सेवक का नाम								
		90–00	00–01	01–02	02–03	03–04	05–06	समग्र मूल्यांकन	उपयुक्त/ अनुपयुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	श्री बी०डी० कुलदीप	ख	ख	ग	ख	ग	ख	–	Unfit
2	श्री आर०के० गुप्ता	क	क	ख	ख	ख	ख	ख	Fit
3	श्री के०सी० शर्मा	ख	क	+ क	ख	ख	ख	क	Fit
4	श्री ए० के० मिंज	–	क	ग	ख	ख	ख	–	Unfit
5	श्री वायआर० वर्मा	–	–	ख	ख	क	क	ख	Fit

इस चार्ट से यह दर्शित होता है कि याचिकाकर्ता के ए सी आर "क" है, जबकि प्रत्यर्थी क्रमांक 6 की ए सी आर "ख" है ।

(अनुलग्नक पी–11) के दस्तावेज में डी पी सी कमिटी की बैठक के विवरण है । उक्त बैठक में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु मापदण्ड कंडिका–6 में निम्नानुसार उल्लेखित है–

"(6) मापदण्ड एवं कसौटीः–

विभागीय पदोन्नति समिति के विचार के लिए निम्नलिखित मापदण्ड एवं कसौटी तय की गई थीः–

(1) संनिष्ठता संदेह से परे हो और प्रमाणित हो ।

(2) पांच वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन "ख" (अच्छा) श्रेणी का हो ।

(3) अंतिम एवं नवीनतम वर्ष का गोपनीय प्रतिवेदन "ग" (औसत) श्रेणी का न हो ।

(4) यदि अन्य वर्षों में कोई गोपनीय प्रतिवेदन "ग" श्रेणी का हो तो उसकी प्रतिपूर्ति दूसरे क + (उत्कृष्ट) अथवा "क" (बहुत अच्छा) श्रेणी के गोपनीय प्रतिवेदन से होती है ।

(5) अपवादात्मक गुण तथा कार्य संपादन संबंधी विशेष कारणों को उल्लेखित करते हुए दी गई उत्कृष्ट श्रेणी को केवल उत्कृष्ट श्रेणी अंकन से अतिरिक्त महत्व दिया गया है ।

(6) मण्डी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के नियम 16(2) के अनुसार ऐसो अधिकारियों को जो विशेष रूप से योग्य तथा उपयुक्त हो उन्हें सूची में से उससे वरिष्ठ अधिकारी की तुलना में उच्चतर स्थान दिया गया ।"

उक्त बैठक की कंडिका–10 के अनुसार, याचिकाकर्ता एवं प्रत्यर्थी क्रमांक–6, दोनो को सामान्य होना ग्रेड किया गया । प्रत्यर्थी क्रमांक–6 का नाम सरल क्रमांक 2 पर था जबकि याचिकाकर्ता का नाम सरल क्रमांक 3 पर था । कंडिका–13 में यह उल्लेख किया गया कि प्रत्यर्थी क्रमांक–6, याचिकाकर्ता एवं अन्य उम्मीदवारों के विरूद्ध कोई विभागीय जांच लंबित नही है एवं न ही उन्हें कोई शस्ति अधिरोपित है । कंडिका–13 में यह उल्लेखित किया गया कि प्रत्यर्थी क्रमांक 6, याचिकाकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एवं श्री वाय आर वर्मा सहायक लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किये जाने के योग्य है एवं वरिष्ठता सह मैरिट के आधार पर प्रत्यर्थी क्रमांक 6 की उक्त पद पर पदोन्नति के लिए अनुशंसा की गयी ।

उक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त, याचिकाकर्ता द्वारा अतिरिक्त निर्देशक की नोटशीट दिनांक 01.06.2007 भी दाखिल की गयी है, जिसमें अतिरिक्त निर्देशक के द्वारा याचिकाकर्ता को सहायक लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किये जाने की अनुशंसा की गयी है एवं इस आशय का भी तर्क किया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता के नाम की अनुशंसा अतिरिक्त निर्देशक के द्वारा की गयी है, इसलिए याचिकाकर्ता को सहायक लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नत होना चाहिए जबकि वरिष्ठ प्राधिकारी मैनेजिंग डायरेक्टर के आदेश दिनांक 08.06.2007 के अनुसार डी पी सी द्वारा बनायी गयी सूची को स्वीकृत किया गया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चेयरमेन, रूशीकुल्य ग्राम्य बैंक विरूद्ध विशम्भर पात्रो एवं अन्य[1] के मामले में कण्डिका–10 एव 11 में यह अभिनिर्धारित किया हैः–

"10. राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के मामले में न्यायालय ने निम्नलिखित दो विचारणीय प्रश्न निर्मित किये हैंः

"8. प्रस्तुत तर्कों पर निम्नलिखित प्रश्न विचार के लिए उत्पन्न होते हैंः

(i) जहां पर पदोन्नति वरिष्ठता सह मैरिट के सिद्धांत के आधार पर की जानी है, क्या वहाँ पर पूर्व प्रदर्शन और साक्षात्कार के लिए न्यूनतक अंक निर्धारित किये जा सकते हैं ?

(ii) क्या प्रथम उत्तरदाता बैंक द्वारा पदोन्नति के लिए उच्च (78 प्रतिशत) प्रतिशत को न्यूनतम अर्हकारी अंक के रूप में निर्धारित किया जाना न्यायोचित है?

1(2013) 4 SCC 376

11. दोनों प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक रूप से देते हुए, न्यायालय द्वारा पूर्व निर्धारित न्याय निर्णयों के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि–

" 13. यह स्पष्ट है कि वह प्रक्रिया जिसमें फीडर पोस्ट के लिए पात्र उम्मीद्वार जिनके पास आवश्यक न्यूनतम मैरिट है, की पहले पहचान की जाये एवं इसके पश्चात् शक्ति से वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठता सह मैरिट के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में पदोन्नति की जाये । यह वरिष्ठता सह मैरिट के नियम का उल्लंघन होगा, जहां पर न्यूनतम आवश्यक मैरिट के निर्धारण के बाद पदोन्नति वरिष्ठता के स्थान पर मैरिट के आधार पर उन उम्मीद्वारों में से की जाये जिनके पास न्यूनतम आवश्यक मैरिट है । यदि न्यूनतम आवश्यक मैरिट के निर्धारण के लिए अपनाया गया मापदण्ड सदभाविक है एवं अनुचित नही है, तो उक्त को इस आधार पर चुनौती नही दी जा सकती है कि वह वरिष्ठता सह मैरिट के नियम के प्रतिकूल है । अतः न्यूनतम मैरिट के निर्धारण के लिए न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित करना उच्च पदों पर कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक है और वरिष्ठता सह मैरिट के सिद्धांत के उल्लंघन में नही है ।

"14. अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या 78 प्रतिशत को न्यूनतम अर्हक अंक (न्यूनतम आवश्यक मैरिट) निर्धारित किया जाना अनुचित एवं मनमाना है । प्रस्तुत मामले में चयन का आधार साक्षात्कार एवं विगत तीन वर्षों की स्केल–1 अधिकारी के रूप में प्रदर्शन रिपोर्ट है । स्केल–1 के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची दिनांक 04.12.1996 को जारी की गई । इसके पश्चात् पदोन्नति की प्रक्रिया के अनुसार 60 अंक प्रदर्शन रिपोर्ट (20 अंक प्रतिवर्ष) निर्धारित किये गये तथा 40 अंक का साक्षात्कार था। वह अधिकारी जिनके न्यूनतम अर्हक अंक 78 प्रतिशत थे, उनको वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत किया गया । यह प्रबंधन को उपलब्ध पद, जिसके संदर्भ में पदोन्नति की जानी है, की आवश्यकता को देखते हुए निर्धारित करना होगा कि पदोन्नति के लिए न्यूनतम आवश्यक मैरिट क्या होगी । नियोक्ता को यह विवेकाधिकार है कि सुसंगत नियमों के पालन में विभिन्न श्रेणियों, पदों के लिए विभिन्न न्यूनतम मैरिट निर्धारित कर सके । उदाहरण के लिए निम्न स्तर पर पदोन्नति के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लिए कम न्यूनतम अर्हक अंक तय किये जा सकते हैं एवं उच्च पदों के लिए अपेक्षाकृत अधिक न्यूनतम अर्हक अंक तय किये जा सकते हैं । "

उच्च न्यायालय का निर्णय अतः इस न्यायालय द्वारा राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के मामले में लिये गये दृष्टिकोण से पूर्णतया विरोधाभाषी होना प्रतीत होता है । "

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डॉ. एन डी मित्रा एवं अन्य विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य[2] में यह अधिनिर्णित किया है कि वैधानिक अथवा कार्यकारी नियमों के अभाव में, संबंधित पद में वरिष्ठता के निर्धारण के समय उस पद पर प्रदत्त की गयी लगातार सेवा की अवधि को विचार में लिया जावेगा, न कि किसी विशिष्ट विभाग या अनुशासन में दी गयी सेवा की अवधि को ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उक्त सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत मामले में यह स्थिति है कि प्रत्यर्थी बोर्ड द्वारा वरिष्ठता के लिए कोई विनियम या नियम नही बनाये गये है, इसलिए प्रत्यर्थी बोर्ड द्वारा पदोन्नति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 का अवलंब लिया गया। सहायक लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों के पिछले पांच वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर प्राप्त ग्रेड बी प्राप्त होना और वरिष्ठता सह मैरिट के सूत्र को अपनाया गया । ऑडिटर एवं एकाउंटेट की संयुक्त वरिष्ठता सूची में याचिकाकर्ता गोपनीय वार्षिक चरित्रावली एवं अन्य मापदण्डों के आधार पर सहायक लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नत हुए । यह सही है कि याचिकाकर्ता को "क" ग्रेड मिला जबकि प्रत्यर्थी को "ख" ग्रेड मिला लेकिन पदोन्नति का मापदण्ड मात्र पांच वर्ष की गोपनीय वार्षिक चरित्रावली के आधार पर ग्रेड "ख" नियत था, ना कि ग्रेड "क" । इसके अतिरिक्त (अनुलग्नक पी–9) के दस्तावेज से यह दर्शित होता है कि प्रत्यर्थी क्रमाक–6 याचिकाकर्ता से वरिष्ठ थे । प्रत्यर्थी क्रमांक 6 द्वारा सेवा में दिनांक 02.11.1985 को पदभार ग्रहण किया गया एवं कैडर में दिनांक 08.02.1993 को पदभार ग्रहण किया गया, जबकि याचिकाकर्ता की सेवा में पदभार ग्रहण तिथि 02.09.1987 है, जबकि कैडर में पदभार ग्रहण तिथि 07.01.1994 है । याचिकाकर्ता का यह अवलंब है कि प्रत्यर्थी क्रमांक 6 को सहायक लेखा अधिकारी के पद पर गलत तरीके से पदोन्नत कर दिया गया है क्योंकि उन्हें एक वार्षिक इंक्रीमेंट बिना संचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित की गयी थी एवं

2(1994) 4 SCC 474

उनके विरूद्ध विभागीय जांच भी लंबित थी, जबकि चार्ट (अनुलग्नक पी–10) से दर्शित होता है कि यद्यपि प्रत्यर्थी क्रमांक 6 के विरूद्ध एक वार्षिक इंक्रीमेंट बिना संचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित की गयी थी एवं वरिष्ठ के आदेश के अपालन के लिए कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी हुआ था, लेकिन प्रत्यर्थी क्रमांक 6 के विरूद्ध पदोन्नति के समय कोई विभागीय जांच लंबित नही थी । इसके अतिरिक्त भी बिना संचयी प्रभाव से एक वार्षिक इंक्रीमेंट रोके जाने की शास्ति लघु अर्थदण्ड है । अतः सहायक लेखा अधिकारी के पद पर प्रत्यर्थी क्रमांक 6 के पदोन्नत होने पर याचिकाकर्ता के साथ कोई अन्याय होना प्रतीत नही होता है क्योंकि प्रत्यर्थी क्रमांक 6 को पात्रता मापदण्डों और नियमों के आधार पर ही पदोन्नत किया गया है । अतः डी पी सी द्वारा उचित एवं सही रूप से प्रत्यर्थी क्रमांक 6 को पदोन्नत किया गया है तथा सेवा नियम, पदोन्नति नियम एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठता सह मैरिट दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अतः प्रस्तुत याचिका निरस्त की जाती है ।

सही/–
रजनी दुबे
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**